न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 43/2019

अपीलान्ट्स

सीता पुत्री स्व0 हापूड़ा पत्नी पुखराज, जाति सरगरा, निवासी– करमावास, तहसील समदड़ी, जिला बाड़मेर, राजस्थान।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. पारसराम पुत्र स्व0 हापूराम
2. तेजाराम पुत्र स्व0 हापूराम
3. लहरी पत्नी स्व0 हापूराम
   सभी जातियान सरगरा, निवासी– ग्राम नन्दवाड़, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 924 दिनांक 07.01.2002 मौजा ग्राम नन्दवाण, जो तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

––––

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री अनोपसिंह सोंलकी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री रतनलाल सारस्वत उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्रसिंह चम्पावत।

–: आदेश :– दिनांक :– 12.12.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 924 दिनांक 07.01.2002 मौजा ग्राम नन्दवाण, जो तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 स्व0 हापूराम पुत्र प्रहलादराम के पुत्री, पुत्र व धर्मपत्नी है। हापूराम का देहान्त वर्ष 2000 में ग्राम नन्दवाण में हो गया। ग्राम नन्दवाण की भूमि खसरा नं0 249 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 252 रकबा 56 बीघा कुल दो खसरान् की कुल भूमि रकबा 78 बीघा 19 बिस्वा भूमि जो मृतक हापूराम की खातेदारी में आई हुई है तथा हापूराम के देहान्त के

समय अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 उत्तराधिकारी मौजूद थे परन्तु तत्कालीन तहसीलदार लूणी तथा पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार हापूराम के वारिसान की कोई जांच नहीं की तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व सूचना का कोई नोटिस नहीं दिया तथा एकपक्षीय कार्यवाही कर नामान्तरकरण मृतक खातेदार के लड़को व धर्मपत्नी के नाम पारित कर दिया तथा अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से रह गया। जो नामान्तरकरण विधि विरूद्ध एवं विधि में शून्य होने से निरस्त योग्य है। आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 924 दिनांक 07.01.2002 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार लूणी से प्राप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री रतनलाल सारस्वत ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री रविन्द्रसिंह चम्पावत ने अपना वकालतनामा पेश किया।

रेस्पोडेन्ट अभिभाषकगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 924 जो तहसीलदार, लूणी द्वारा दिनांक 07.01.2002 को स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृति के 17 वर्षो तक अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः मियाद के बिन्दु पर यह अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया तथा रेस्पोडेन्ट अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। इस अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि हापूराम उर्फ हापूड़ा के फौत हो जाने पर पारसराम व तेजाराम (पुत्र) तथा लहरी (पत्नी) का नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण 924 जो दिनांक 07.01.2002 को तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया में दर्ज किया गया जबकि अपीलान्ट सीता जो हापूड़ा की जायन्दा पुत्री है उनका नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। अपीलान्ट सीता हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत मृतक हापूड़ा पुत्र प्रहलाद की प्रथम श्रेणी की वारिसान् है।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण 924 दिनांक 07.01.2002 ग्राम नन्दवान जो तहसीलदार, लूणी द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये जाते है कि वह मृतक के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण निर्णय की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.12.30 18:43:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: